इकाई 27

लिंग संबंधी भेदभाव एवं सामाजिक स्तरीकरण

इकाई की रूपरेखा

27.1 प्रस्तावना

27.2 वेबर, मार्क्स और स्तरीकरण

27.3 परा-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिंग एवं सामाजिक स्तरीकरण

27.4 महिलाओं की स्थिति

27.5 भारतीय संदर्भ

27.6 जाति एवं लिंग संबंधी भेदभाव

27.7 जनजाति, लिंग, स्तरीकरण एवं बदलाव

27.8 सारांश

27.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

27.10 संदर्भ ग्रंथावली

अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपः

- लिंग संबंधी भेदभाव एवं स्तरीकरण की चर्चा कर सकेंगे; तथा
- सामाजिक स्तरीकरण को समझने में मार्क्स एवं वेबर के योगदान की चर्चा कर सकेंगे।

27.1 प्रस्तावना

अधिकांश समाजों में महिलाओं के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग करके व्यक्त किया जाता है। पश्चित एवं भारतीय समाज के मध्यम वर्गों में रोजी-रोटी कमाने की जिम्मेवारी पुरुषों की होती है और महिलाएं घर की देखभाल करती हैं और बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। इस बंदोबस्त को स्त्री-पुरुष की जैविक रचना के आधार पर प्राकृतिक एवं अनुपूरक समझा जाता था। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता एवं श्रम में लैंगिक आधार पर बंटवारा जैसे मुद्दे गूढ रूप से अंतःसंबद्ध हैं। पश्चिम में भारी संख्या में महिलाओं ने जब से श्रम बल में प्रवेश करना शुरू किया है तब से श्रम विभाजन की प्राकृतिक विचारधारा को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा है। पश्चिम में नारीवादी आंदोलन के उदय ने श्रम विभाजन को ले कर बहुत से प्रश्न खड़े कर दिए और इसके साथ-साथ विविध समाजों एवं संस्कृतियों में महिलाओं की लगभग एक जैसी अधीनता पर भी सवालिया निशान लगाया गया है। कुछ प्रश्न जैसे कि क्या रोजगार ने महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है? क्या इस वजह से उन पर दोहरा बोझ पड़ गया है और जिसकी कोई कद्र भी नहीं की जाती। जैसे घरेलू काम को काम नहीं माना जाता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व भर में एक जैसा काम करने के बावजूद महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम पैसे मिलते हैं। लिंग विषयक पक्तियों के साथ-साथ व्यवसायों में भी तबदीली आ जाती है। अन्य प्रश्न श्रम बल में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, इसके सुसंगत

अवमूल्यन एवं निर्णयन प्रक्रिया से महिलाओं को बाहर कर देने से संबद्ध हैं। इन मुद्दों को समझने के लिए हम स्तरीकरण सिद्धांतों में इनके उत्तरों को ढूँढ़ते हैं।

नारीवादी विचारक आर्थिक शोषण की समकालीन व्यवस्था से महिलाओं की समस्या को समझने पर रोक लगाते हैं। उनका तर्क है कि महिलाओं के उत्पीड़न को समग्र वर्ग उत्पीड़न की तुलना में "गौण रूप" से नहीं समझा जाना चाहिए। महिलाएं पुरुष वर्ग द्वारा उत्पीड़ित हैं और पितृसतात्मक संरचना भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से लगभग सभी जगह एक जैसी है। मौजूदा समाज में विभेदन का मुख्य अक्ष वर्ग नहीं बल्कि जेंडर है और ये महिलाएं हैं जो "दीर्घस्थ क्रांति" की बाट जोह रही हैं। वर्ग स्तरीकरण सिद्धांतों में जेंडर संरचित असमानता के स्रोतों और सामाजिक बदलाव को बेनकाब करने का प्रयास करती है। मार्क्सवादी और वेबरवादी दोनों आनुभविक शोध में जुटे हुए हैं जो दोनों मिलकर असमानता के स्वरूपों एवं संरचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे कार्यों पर अपनी मुहर लगाते हैं। इस बात की विस्तृत आलोचना की गई है कि परिवार सदस्यों की वर्ग स्थिति आजीविका कमाने वाले से बनती है और जो कि आमतौर पर पुरुष होता है। प्रत्येक सामाजिक स्तरीकरण में लिंग विषयक भेदभाव का प्रश्न सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य कार्य अर्थात दोनों के लिए गंभीर समस्या को खड़ा करता है। हरेक दायरे में महिलाओं की सहभागिता, पुरुष प्रधान परिवारों में घटोतरी एवं सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं की अवस्थिति के लिए नये नियमों की सर्जना। न्यूबाई (1982) के अनुसार लिंग विषयक असमानता का मुद्दा महिलाओं के आंदोलन से उभरा है।

27.2 वेबर, मार्क्स और स्तरीकरण

वेबर ने गौर किया कि समाजों को वर्ग या स्थिति गठन के लिए उनकी कोटि के आधार पर स्तरीकृत किया जा सकता है और जो कि सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बुनियादी तथ्य को प्रदान करके पहली किस्म की छानबीन ऐसे विस्तार से संबद्ध है जिसके लिए समाजकीय स्तर पर वर्ग या प्रस्थिति व्यवस्थाएं सामाजिक कार्य के महत्वपूर्ण साधन हैं। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत तब वर्ग या प्रस्थिति गठन के अंत एवं अंतरा समाजकीय विविधता पर ध्यान देता है। इस समय स्त्री/पुरुष असमानता को श्रम विभाजन की दृष्टि से देखा जा रहा है जो महिलाओं को "आरक्षित सेना" के रूप में देखता है अर्थात युद्ध के समय ऐसी अकुशल सेना की भर्ती जिससे उस समय कोई भी काम कराया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय बदलाव वर्ग स्तरीकरण के पक्षधर हैं और स्थिति (प्रतिष्ठा) स्तरीकरण को पीछे धकेलते हैं।

चूंकि वर्ग एवं स्थिति गठन के विभेदन का स्पष्टीकरण एवं निर्धारण, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन का मुख्य मुद्दा रहा है। इसे बहुत से आधारों पर ठीक माना गया है। पहला, असमान प्रतिफलों के बंटन में रुचि की वजह से जीवन अवसर एवं किस तरह विविध सामाजिक प्रबंध "बेहतर" परिणामों एवं अवसरों की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कारण है, वर्ग या स्थिति विभेदन के "परिणामों" के स्पष्टीकरण को दिया जाने वाला महत्व। जिन्हें स्तरीकरण विश्लेषण का उपफल कहा जाता है। इन उपागमों ने कभी भी जेंडर असमानता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मुख्य जोर वर्ग ध्रुवीकरण एवं स्थिति समूह समेकन पर था। इससे पहले यह माना गया था कि लिंग विषय संबंध आमतौर पर इतरलिंगी हैं और इसलिए वर्ग एवं स्थिति संबंधों के आर-पार हैं। इससे यह विचार सामने आया कि लिंग विषयक संबंध कुछ मानवजातीय किस्म के भी है।

बॉक्स 27.1 : मार्क्स एवं पितृ सत्ता

मार्क्सवादी विचारधारा ने लैंगिक विभाजन की संकल्पना को जन्म दिया जिसका सामाजिक अंतःक्रिया के पैटर्नों या वास्तविक सामाजिक संबंधों से ज्यादा सरोकार नहीं

है। इस परिप्रेक्ष्य से प्रश्न उठता है कि क्या महिला गृह्य को सदैव स्थायी एवं सुसंगत कार्य सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करने में सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ा जो कि वर्ग गठन की पद्धति खंडन एवं वस्तुनिष्ठ वर्ग स्थिति को एक दूसरे जोड़ सके। विश्लेषण की इस किस्म से बुनियादी अंतरों ने पितृसत्ता की संकल्पना में काफी कुछ जोड़ दिया जिसका अर्थ है, व्यवहार के पैटर्न या सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप। मार्क्सवादी और पितृसत्तात्मक दोनों इस बात पर एक दूसरे से अलग हैं कि क्या महिलाएं वर्ग गठित करती हैं या नहीं जबकि पितृसत्ता को सामाजिक संबंधों की ऐसी संरचना के रूप में देखा जाता है जिसमें पुरुषों को स्वतः अधिकार मिलते हैं और महिलाओं को ऐसे सामाजिक संदर्भों में सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है जो स्तरीकरण के स्वरूप में लिंग संबंधी रिश्तों पर विचार करने की बात कहते हैं।

पितृसत्ता ऐसे किस्म के सामाजिक गठन को बनाता है जिसे पारंपरिक स्तरीकरण विश्लेषण द्वारा अनुचित रूप से अनदेखा किया गया है। मान (1986) के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में लिंग संबंधी भेदभाव को नकारने से स्तरीकरण सिद्धांत में संकट की उत्पत्ति हुई। लिंग संबंधी भेदभाव द्वारा प्रभावित स्तरीकरण सिद्धांत के पाँच मुख्य क्षेत्र हैं — व्यक्ति विशेष, परिवार एवं कुटुम्ब, स्त्री/पुरुषों के बीच श्रम विभाजन, सामाजिक वर्ग एवं राष्ट्र-राज्य।

27.3 परा-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिंग एवं सामाजिक स्तरीकरण

विविध समाजों एवं संस्कृतिं में पितृसत्ता द्वारा महिला एवं पुरुषों के बीच संसाधनों, अवसरों एवं प्रतिफलों की असमान पहुँच को वैध घोषित किया गया है। पुरुष एवं महिलाओं के बीच स्थिति — असमानता नयीं परिघटना नहीं है जो कि पितृसत्ता एवं इसकी विचारधारा, स्त्री/पुरुष आधार श्रम विभाजन एवं विवाह, दहेज, संपत्ति एवं विरासत एवं अधीनस्थता के माध्यम से प्रबलित की जाती है । सिल्वया वाल्बे (1994 : 22-28) का मानना है कि पितृसत्ता सिर्फ शक्ति का विशिष्ट बंटवारा नहीं है बल्कि यह उत्पादन के गूढ़ तंत्र में बसी हुई है।

अभ्यास 27.1

परा-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिंग संबंधी भेदभाव पर नोट लिखिए। अपने मित्रों से अपने विचारों पर चर्चा कीजिए।

नारीवादी समाजविज्ञानी जो वर्ग की संकल्पना पर काम कर रहे हैं उन्होंने पुरुषों के व्यवसायों से एकल रूप से उत्पन्न आधार पर चुनौती दी है। नारीवादी समीक्षा का मुख्य ध्यान इस बात पर रहा है कि वर्ग सीमाओं का कौन सा संशोधन अनिवार्य होगा यदि आर्थिक कार्य करने वाली महिलाओं को सही माना जाये। दूसरे उन्होंने परिवार के प्रति महिलाओं के काम के योगदान को पुनःमूल्यांकित करने का प्रयास किया है।

स्त्री/पुरुष श्रम विभाजन पर परा सांस्कृतिक शोध ने जीवन — निर्वाह के विविध साधनों से समाज में महिलाओं की उत्पादनशील गतिविधियों की विस्तृत रेंज को स्पष्ट करने का प्रयास किया है लेकिन साथ में उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर इनके स्थितिगत निहितार्थों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

नारीवादी मानवविज्ञानियों के लिए आरंभ से ही मुख्य ध्यान सार्वभौमिक जेंडर असमानता के कारणों की छानबीन करना रहा है। उन्होंने इसकी उत्पत्ति एवं इसकी निरंतरता को समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक एवं भौतिक दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ऐसी विवेचनाओं में से प्रत्येक एक ऐसे प्रमुख द्विभाजन पर टिकी है जिसे सार्वभौमिकः सार्वजनिक/घरेलू, प्रकृति/संस्कृति एवं उत्पादन/पुनःउत्पादन के रूप में लिया गया।

नारीवादी मानवविज्ञान में सामाजिक स्तरीकरण से जेंडर का संबंध इस तरह की संकल्पना रहा है कि जेंडर सामाजिक संरचनाओं को सांकेतिक संरचना और सामाजिक कार्य के लिए रूपक के रूप में लेता है। जेंडर को सांकेतिक प्रस्तुति के रूप में और महिलाओं एवं पुरुषों के व्यवहार एवं उनके संबंध के रूप में वैचारिक रूप दिया गया है। रोसाल्डो, लैम्फेयर एवं आर्टनर जैसे मानवविज्ञानियों ने सामाजिक असमानता के आधार के रूप में जेंडर एवं नातेदारी की पहचान की है जिससे यह समझना कि किस प्रकार संपत्ति एवं निर्णयन आदि तक महिलाओं की पहुंच विस्तृत सैद्धांतिक, भौतिक एवं नातेदारी संरचनाओं के राजनीतिक संदर्भों में शामिल है।

आर्टनर एवं व्हाइटळैड (1981) ने प्रतिष्ठा संरचनाओं के मॉडल को प्रस्तावित किया है जो कि प्रतिष्ठा स्थितियों या स्तर के सेट के रूप में परिभाषित है जो कि सामाजिक मूल्यांकन की विशिष्ट लाइन और ऐसे तंत्रों की उपज है जिससे व्यक्ति विशेष एक निश्चित स्तर पर पहुंचते हैं (वही, 13)।

जेंडर, उनका तर्क है ऐसी ही प्रतिष्ठा संरचना है और प्रत्येक मानव समाज में स्त्री और पुरुष दो अलग तरह के मूल्यों को बनाते हैं जिसमें पुरुष, पुरुष हैं और इस वजह से उसकी पदवी उच्च है (वही 16)। उनका सुझाव है कि पुरुष प्रतिष्ठा "सार्वजनिक भूमिकाओं" से संबद्ध है जैसे कि मुख्य कर्ताधर्ता या ब्राह्मण जबकि महिला प्रतिष्ठा पुरुषों से उनके संबंधों से परिभाषित है। ऐसी भूमिकाएं हैं जैसे पत्नी, बहिन एवं माँ। अन्य शब्दों में महिला संरचनाएं पुरुष संरचनाओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं। प्रतिष्ठा संरचना के रूप में जेंडर पर विचार करके विविध समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के जेंडर आधारित विश्लेषण को आगे बढ़ाया जाता है।

मानवविज्ञान संबंधी साहित्य का सुझाव है कि महिलाओं का घर से बाहर काम करना और जीवन निर्वाह संबंधी अर्थव्यवस्था में इनके योगदान ने पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच समानता की संकल्पना को जन्म दिया है। वनातनाई में महिलाओं की, भूमि की आर्थिक पूंजी के नियंत्रण एवं मृत्यु संबंधी अनुष्ठानों तक पहुँच है। जबकि हाइलैंड न्यू गिन्नी में उद्यान के क्षेत्र में महिलाएं रेशेदार फसलों को उगाती हैं जबकि पुरुष सामाजिक विनिमय के लिए गौरव फसलों को उगाते हैं।

बॉक्स 27.2 : श्रम विभाजन

ऐसा सांस्कृतिक मूल्यन जेंडर स्तरीकरण के लिए आधारशिला है जो कि तब पुरुष वरिष्ठता की लिंग विषयक विचारधाराओं और महिला एवं पुरुषों के बीच लैंगिक प्रतिरोध की उच्च डिग्री से प्रबलित है। मेग (1990) "उग्रराष्ट्रीयता" की विचारधारा को व्यक्त करती है जो कि योद्धाओं के रूप में पुरुषों की भूमिका में निहित है। मुंडुरुक्कू में कार्य विभाजन जो कि अमेजनाई बागबानी समाज है, वहाँ पुरुष शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हौ और बागबानी के लिए जंगलों की सफाई करते है जबकि महिलाएं बुआई, कटाई एवं मैनिऑक को प्रसंस्कृत करने का काम करती हैं। मुडुरक्कू में कार्यरत पुरुषों के कार्यों को अधिक मान्यता है। जैसा कि मरफी एवं मरफी (1985) का कहना है, "पुरुष प्रभुत्व पूरी तरह पुरुषोचित गतिविधियों से नहीं आता लेकिन उनके लिए इस बात को मानना जरूरी है। पुरुष वर्चस्व पारंपरिक सांकेतिक है। मार्टिन एवं वूटरिज (1975) के अनुसार कृषि में महिला सहभागिता की जो कमी आई है वह इसलिए है कि मूल (जड़दार) फसलों की बजाय खाद्यान्न फसलों का स्थान लेने से और पशु श्रम की बजाय मानव श्रम को अपनाने से महिलाओं का घरेलू कार्यभार बढ़ गया है।

महिलाओं का मूल्य उनकी उत्पादनकारी गतिविधियों की बजाय प्रजनन संबंधी योग्यताओं द्वारा परिभाषित है। वधू संपत्ति को वधू के माता-पिता के लिए उसके प्रजनन अधिकारों एवं अन्य उत्पादनशील अधिकारों की क्षतिपूर्ति के रूप में माना जाता है जबकि दहेज को

ऐसी विरासत माना जाता है जो वधू को भूमि एवं अन्य संपत्ति देती है और पति को आकृष्ट करने में सहायता करती है।

पारंपरिक पितृसत्तात्मक आईरिश परिवार (अरेंजबर्ग एवं किमबाल (1940) के अध्ययन) में कार्य का विभाजन जेंडर एवं आयु द्वारा होता है। श्रम विभाजन का अर्थ पुरुषों के हाथों में "प्राकृतिक" एवं सता का आना है। पशुचारी समाज भी पितृसत्ता एवं लिंगों के द्विभाजन पर आधारित है और जेंडर स्तरीकरण बहुत से पशुचारी समाजों की बुनियादी विशेषता है। कैंपबेल (1964) जिसने "सरकतसोनी ऑफ ग्रीक" का अध्ययन किया, का कहना है कि पशुचारी "सरकतसोनी" का जीवन तीन बातों के इर्द-गिर्द घूमता है। ये हैं— भेड़, बच्चे और प्रतिष्ठा। जेंडर विचारधारा इन तीन मूल्यवान बातों में छिपी है। अंतिम प्राधिकार पुरुषों के पास है बावजूद इसके कि महिलाओं का जीवन के सभी पहलुओं में बराबर का योगदान है।

27.4 महिलाओं की स्थिति

जेंडर स्तरीकरण को समझने के लिए उत्पादन में सहभागिता एवं विचारधारा दोनों को समझने की जरूरत है। जैसा कि एटकिन्सन (1982 : 248) का कहना है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लैंगिक रूढ़िवादिता का महत्व नहीं है या यह मान लेना कि एक संदर्भ में महिलाओं का प्रभाव दूसरे संदर्भ में उनके मूल्य को कम कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति विविध संस्कृतियों में एक जैसी नहीं है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अंतरा सांस्कृतिक छवि भी समान रूप से जटिल है।" समाजवादी नारीवादी विचारक हालांकि इस बात पर कायम हैं कि पितृसत्ता वर्ग असमानता की पहली अवस्था है। वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अधीनता एवं जेंडर विषमता की नई किस्मों ने पुरानी किस्मों की तुलना में बेहतर प्रभाविता जमाईहै जिससे पितृसत्ता नियंत्रण अनुत्तेजित हो गया है। औद्योगिक कार्य करने वाले व्यक्तियो ने आजीविका-निर्वाह एवं सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण कायम करते हुए महिलाओं को आश्रित बना दिया है।

लीला दुबे, इलेनर लिकाक एवं शिरले आर्डनर (वही: xi) परा-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं और महिलाओं को महत्व न देने एवं उनकी निष्क्रियता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इंगित करते हैं कि विविध समाजों में पुरुषों को प्राथमिकता है। लीला दुबे का मानना है कि महिलाओं की ।नेश्चित अभिरुचि एवं प्रभावी छवि के बावजूद महिलाओं की छवि को अदृश्य बनाना ही समाज में उनकी निम्न स्थिति का मूल कारण है।

लिंग संबंधी असमानताओं को जेंडर-सामाजिक व्यवस्था से स्पष्ट किया जा सकता है जो कि सैद्धांतिक एवं भौतिक सामग्री का ताना-बाना है और जो दिए गए सामाजिक संदर्भ में पुरुषत्व एवं नारीत्व की विविध छवियों को निर्मित करने के लिए काम करता है और जिसके द्वारा लिंग विषयक असमानता की किस्मों को समेकित किया जाता है (कोनेल 1994 : 29-40)। कबीर के अनुसार (1995 : 37) "जैविकी, जनन और लिंग संबंधी है।" महिला और पुरुष को पुरुषत्व एवं नारीत्व-के पूर्ण गुणों के आधार पर महिला एवं पुरुष कहा जाता है।

महिलाओं को द्वि-परती स्तरीकरण से जोड़ा जाता है अर्थात पुरुष से उनके संबंध तथा अन्य महिलाओं से उनके संबंध। लिंग संबंधी भेदभाव, पुरुष एवं महिला असमानता के विविध भागों को संरचित करता है।

समकालीन जगत के बहुत से समतावादी समाजों में श्रम विभाजन का अर्थ है कि पुरुष शिकार करते हैं और महिलाएं भोजन एकत्र करती हैं। फ़िदी (1975 : 78) इस विभाजन के चार कारण को रेखांकित करते हैं। अर्थात शिकार करने एवं भोजन एकत्र करने के लिए अपेक्षित कौशलों की आवश्यकता और चारे की खोज में बंजारों के रूप में छोटे आकार में इधर-उधर भटकना। इस सामान्य अवधारणा के बावजूद कि पुरुष शिकार करते

हैं और महिलाएं संग्रह का काम करती हैं, श्रम विभाजन में कोई खास अंतर नहीं है। तीवी आस्ट्रेलियाई मूल निवासी जो उत्तरी आस्ट्रेलिया के तट के मेलविले द्वीप में बसे हैं वहाँ पुरुष एवं महिलाएं दोनों शिकार करते हैं एवं भोजन एकत्र करते हैं। महिलाओं को आर्थिक संपत्ति माना जाता है और पुरुषों के लिए ये संपत्ति एवं गौरव का स्रोत हैं। महिलाएं सामाजिक स्थिति की प्राप्ति करती हैं और राजनीतिक रूप से प्रभावी हो सकती हैं। गुडेल (1971) का सुझाव है कि तीवी संस्कृति समाज में स्त्री एवं पुरुष की समानता पर जोर देती है। उत्तर पूर्वील्यूसन के अगता नेगरिटोस में फिलिपीनी महिलाएं आस्ट्रेलिया के तीवी की और पुरुषों की तुलना में अधिक सामाजिक एवं आर्थिक समानता का आनंद उठाती हैं। रोजाना की खाद्य आपूर्ति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और ये जो भोजन प्राप्त करती हैं, उन पर इनका नियंत्रण भी रहता है। ये इस भोजन को अपने परिवार के साथ बाँट कर खाती हैं और विस्तृत समुदाय में इसका व्यापार करती हैं। यह इस मौजूदा धारणा को चुनौती देता है कि चारे की खोज करने वाले समाजों में गर्भावस्था एवं बाल देखभाल शिकार के साथ सही तालमेल नहीं बना पाते। बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए उन्होंने गर्भ निरोध एवं गर्भपात के तरीकों को विकसित किया है।

उद्यानी समाजों में जहाँ हाथ के औजारों से खेती-बाड़ी का काम चलता है, महिलाएं उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। लिपोस्की, वनातानी के प्रशांत प्रायद्वीप के उद्यानी एवं मातृवंशीय लोगों में लिंग सम्बन्धी समानतावाद की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ की प्रमुख पदों की महिलाएं विनिमय एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेती हैं।

27.5 भारतीय संदर्भ

कल्पना बर्धन (1986 : 94) के अनुसार, "चाहे वर्ग पर या जाति विश्लेषण पर आधारित हो, परिवार स्तरीकरण अध्ययनों के लिए विश्लेषण की प्रमुख इकाइयाँ हैं। विस्तृत ढाँचे में यह पर्याप्त रूप से स्थित नहीं है कि लिंग द्वारा विभाजन एवं महिलाओं की स्थिति स्थायित्व एवं गतिशीलता संबंधी इसके गुणधर्मों को प्रभावित करती है।

अभ्यास 27.2

पितृसत्ता, अर्थव्यवस्था एवं वर्ग संरचना पर संक्षेप में लिखिए। अपनी नोट बुक में मुख्य बिंदुओं को उतारिए।

भारतीय समाज में नातेदारी की भूमिका, स्तरीकरण की बुनियादी इकाई के रूप में परिवार एवं रोजाना के संबंधों के अलावा, परिवार के पुरुष मुखिया की भूमिका एवं पुरुष एवं महिलाओं के बीच स्थिति संबंधी समानता ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनकी जाँच करने की जरूरत है। माइकल मान (1986 : 40-56) पितृसत्ता, अर्थव्यवस्था एवं वर्ग संरचना की चर्चा करता है। मान के अनुसार महिलाओं का कोष्ठीकरण, राजनीति में महिलाओं की सहभागिता, विकास कार्यक्रम एवं प्रक्रमों एवं नारीत्व के बावजूद भी कायम है। भारतीय समाज को पुरुष जाति और स्त्री जाति में विभाजित किया गया है। महिलाओं की संकल्पना बनाते समय तथा उनके बारे में लिखते समय नीता कुमार (1994 : 4) चार तरीकों पर प्रकाश डालती है अर्थात महिलाओं को नायिका के रूप में देखते हुए और उन्हें पुरुषों के विशेषाधिकार देते हुए महिलाओं को मानव "टकटकी" का केंद्रबिंदु बनाना; पितृसत्ता पर ध्यान देते हुए सैद्धांतिक तर्कमूलक दायरे में महिलाओं की मौजूदगी को देखना और जो उन्हें निरंतर इस दायरे में बाँधे रखती है और बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं देना; ऐसे प्रछन्न तरीकों पर गौर करना जिनके चलते महिलाएं अपने कार्यों को पूरा करती हैं। वह कुछ प्रश्न उठाती है जैसे विषयों के रूप में महिला होने की इच्छा शक्ति और पौरुष को हटाकर नारीत्व को उजागर करना।

मोनिशा बहल (1984) के अनुसार जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मणिपुर जिले में काम किया, वहाँ के ग्रामों में महिलाओं के जीवन उदासी से भरा है। कारण है, काम का अत्यधिक भार, खराब स्वास्थ्य एवं निर्धनता। मधुकिश्वर एवं रुथ वनिता (1984) महिलाओं के प्रश्न को भारतीय सांविधानिक विधि की अक्षमता और महिलाओं के प्रति अपराध एवं महिलाओं से छेड़छाड़ पर प्रकाश डालते हुए उठाते हैं। महात्मा गाँधी का नजरिया की चूँकि महिला पुरुष की जननी है, इसलिए पीड़ा सहने की इसमें अनंत क्षमता है अर्थात इस नजरिए पर भी आलोचनात्मक ढंग से विचार किया गया। जोएना लिडल एवं रमा जोशी (1986) ने जेंडर, जाति और वर्ग के बीच के अंतः संबंधों के संदर्भ में भारतीय महिलाओं का अध्ययन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च पितृसत्तात्मक जातियों ने जाति एवं लिंग संबंधी विभाजन को और अधिक कस दिया क्योंकि उन्होंने इस उत्तमावस्था के लिए उनकी आर्थिक उत्तमावस्था एवं प्रतिरक्षित चुनौतियों को समेकित कर दिया था।

बॉक्स 27.3 : महिलाएं एवं दलित

लिंग संबंधी भेदभाव की स्थिति विषमता-विस्तृत सामाजिक संरचना का भाग है जो कि जाति एवं पारिवारिक मूल्यों द्वारा प्रबलित की जाती है। लैंगिक भेदभाव एवं वर्ग अर्थात दोनों वर्ग शोषण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारतीय समाज में महिलाएं, जाति, वर्ग, धार्मिक एवं नृजातीय सीमाओं समेत स्तरीय हैं अतः स्थिति पर कोई सामान्यीकरण संभव नहीं है। महिलाओं को स्तरों में बांटा गया है। दलित तबकों की महिलाओं को तीन तरह के उत्पीड़न को झेलना पड़ता है जो हैं — जाति, वर्ग, लिंग संबंधी।

आर्थिक असमानता एवं सोपानिकी की विचारधारा से विभाजित होकर भारतीय महिलाओं के पास किसी तरह का कोई सकारात्मक पहलू नहीं रह जाता। यह पाया गया है कि महिलाओं को निरंतर काम के बोझ को सहन करना पड़ता है। कारण है, आर्थिक स्तरीकरण, सामाजिक सोपानिकी एवं महिला कार्य प्रतिरूप एवं रोजगार साधनों में विभेदन और इनके बीच के अंतःसंबंध । वर्ग उत्पीड़न, वर्ग शोषण एवं जेंडर असमानता अधिक टिकाऊ एवं सतत है क्योंकि इनका प्रयोग परिवार के भीतर ही है।

भारत में महिलाओं के आंदोलनों के मुख्यता ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो सर्वव्यापक हैं जैसे महिलाओं के प्रति हिंसा, कार्य संबद्ध असमानताएं, शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच, स्वास्थ्य, गृहिणियों के कार्य को सामाजिक मान्यता एवं उनके कार्य के लिए पारिश्रमिक। राजनीतिक दमन एवं महिलाओं को महत्व न मिलना, मूल्य वृद्धि आदि।

जीवन के विविध भागों में शोषण एवं उत्पीड़न के मुद्दों को उठाना अर्थात परिवार, विवाह, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं राजनीति, आदि जैसी जगहों पर ध्यान देकर नारीवादी विविध भारतीय संदर्भों में जेंडर मुद्दों के विस्तृत परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

हर किस्म की रचना में यह माना गया है कि पितृसत्ता, स्तरीकरण व्यवस्था एवं महिलाओं की स्थिति गूढ रूप से अंतःसंबद्ध है और महिलाओं की स्थिति में किसी भी किस्म के सकारात्मक बदलाव का अर्थ पितृसत्ता और स्तरीकरण व्यवस्था पर प्रहार करने जैसा होगा। सांकेतिक विश्लेषण के माध्यम से असमान व्यवहारों को गूढ रूप से जमे सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में व्यक्त किया गया है जो कि पुरुषत्व एवं नारीत्व की संज्ञा देते हैं। लीला दुबे जेंडर विषमता की पुष्टि के रूप में विविध पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में 'बीज' और धरती की लाक्षणिक संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए स्त्री एवं पुरुष के बीच के संबंध की चर्चा करती हैं।

साक्षरता रचनाओं में महिलाओं को रूढ़िगत स्वरूप में पेश किया गया है। पिछले तीन दशकों में लिंग संबंधी असमानता के विविध पहलुओं पर लिखित रचनाओं ने अर्थव्यवस्था

में महिलाओं की प्रछन्नता और बेरोजगारी, निर्णयन प्रक्रिया में उनकी असहभागिता एवं पुरुष विशेषाधिकार के रूप में महिलाओं के प्रति अपराध को खासतौर पर उभारा है।

भूस्वामित्व का उन्मूलन और इसके सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के विध्वंस ने सकारात्मक ढंग से महिलाओं को प्रभावित किया है। मेनशर एवं सरदामोनी (1993 : 167) पाते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए महिला की आय होना बेहद जरूरी है। अधिकांश महिलाएं तीन किस्मों के कामों में जुटी हुई हैं — (क) पारंपरिक तौर पर परिभाषित श्रम बल में सहभागिता, (ख) घरेलू कार्य एवं अकेले किए जाने वाले कार्य। इसके अलावा ये महिलाएं स्त्री होने और खराब आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से भी पीड़ित हैं।

करुणा अहमद (1979 : 1435-40) महिलाओं के रोजगार में पाँच प्रवृत्तियों को पाती हैं। ये हैं — (क) कुछ गिने चुने व्यवसायों में महिलाओं की एकजुटता, (ख) निम्न स्थिति के व्यवसायों में या प्रतिष्ठित व्यवसाय के निम्न स्तरों में महिलाओं की एकजुटता, (ग) पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वेतन में गिरावट, (घ) अत्यंत शिक्षित एवं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं का उच्च भाग।

अध्ययनों का सुझाव है कि महिलाओं की व्यावसायिक अवस्थिति जाति एवं वर्ग पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक उपलब्धियों की दृष्टि से समाज में उनकी स्थिति को प्रभावित करती है। विवाह एवं परिवार के संदर्भ में पारंपरिक मूल्यों की तुलना में आधुनिक शिक्षा से महिलाओं में स्थिति को लेकर धारणाओं को नये रूप से विकसित किया जा सकता है।

अग्निहोत्री (1996) एवं अग्रवाल (1984) ने महिलाओं के विश्लेषण में मार्क्सवादी उपागम को प्राथमिकता दी। अग्रवाल का प्रस्ताव है कि ऐसे बहुत से प्रश्न जिनका जेंडर संबंधों पर असर पड़ेगा, उत्पादन के संगठन एवं उत्पादन के संबंधों में धुंधले पड़ जायेंगे। महिलाओं की वैयक्तिकता एवं सुधारों के रूपकों के बावजूद पितृसत्ता, श्रम विभाजन, परिवारों में विवाह विविक्त पवित्रता, सतीत्व जैसी बातें अभी भी प्रचलित हैं।

27.6 जाति एवं लिंग संबंधी भेदभाव

जाति की तीन बुनियादी विशेषताएं हैं:

i) विवाह एवं संविदा को शामिल करने वाले नियम जो जाति विशिष्टताओं को कायम रखते हैं।

ii) सोपानिकी अर्थात स्थिति के आधार पर व्यवस्था एवं श्रेणी का सिद्धांत।

iii) अंतःनिर्भरता अर्थात श्रम का विभाजन जो कि घनिष्ठता से सोपानिकी एवं पृथक्करण से बंधा हुआ है।

जाति व्यवस्था के उपर्युक्त तीन वैशलेषिक रूप से अलग होने योग्य सिद्धांत नातेदारी पर आधारित इकाइयों के माध्यम से अपना काम करते हैं। महिलाओं का जीवन मुख्यतया पारिवारिक मानदंडों के दायरे में ही गुजरता है। उनके जीवन में परिवार और घर की अहम भूमिका है (दुबे, 1996 : 1-27)।

महिलाओं का कार्य जाति समूह की व्यावसायिक निरंतरता में मुख्य रूप से अपना योगदान देता है। जाति और व्यवसाय के बीच की कड़ी में महत्वपूर्ण निरंतरता ब्राह्मणों का दिए जाने वाले आदर के रूप में देखी जा सकती है जहाँ उच्च एवं मध्यम स्तर की जातियों में उन्हें अभी भी पुरोहित का दर्जा दिया जा रहा है। सुनारों, लोहारों, कुम्हारों एवं बुनकरों की शिल्पकला आधारित जातियों में इनमें से बहुत से अभी भी आजीविका-निर्वाह के लिए पारंपरिक व्यवसायों में जुटे हुए हैं और कार्य के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से

महिलाएं उनका हाथ बंटा रही हैं। टोकरियाँ बुनना पुरुष एवं महिलाओं की साझी गतिविधि है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में छुटपुट व्यापारियों के घरों की महिलाओं का मसले पिसाने, अल्पाहार की बिक्री करना और परिवार की दुकान पर बिक्री के लिए अल्पाहार रखना एक आम बात है। यह सच है कि विशिष्ट जाति की व्यावसायिक निरंतरता मुख्यतया महिलाओं के कंधों पर टिकी हुई है (वही)।

यजमानी संबंध, शिल्पकारों, सेवा जातियों एवं भू-स्वामियों, एवं कृषकों और व्यापारियों के बीच अंशकालिक संविदात्मक संबंध और व्यावसायिक जातियों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान अर्थात बहुत से ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की ऐसी विशेषताएं पारिवारिक स्तर पर देखने को मिलती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों सेवाएं प्रदान करते हैं और किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक की प्राप्ति करते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि ऐसी 'अछूत' जातियाँ मौजूद हैं जिनके घर की स्त्रियाँ दाइयों के रूप में काम करती हैं; अपनी जाति के पुरुषों के साथ मिलकर ऐसी महिलाएं उच्च एवं समृद्ध जातियों की गंदगी को हटाने का अनिवार्य कार्य करती है। श्रमिकों को अपने मालिक से रिश्ते में बाँधने वाले संबंध या संविदा में स्त्री एवं पुरुष अर्थात पति एवं पत्नी दोनों की सेवाओ का समावेश है (वही)।

पेशेवर कार्यों में निरंतर जुड़ने की अनिवार्यता के लिए जाति के भीतर विवाह करना एक मुख्य आधार है। पेशेवर कार्यों में महिलाओं का सतत योगदान पितृसत्तात्मक सीमा और जाति की बाध्यताओं एवं नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। महिला को, काम की मांग एवं विवाह बाजार को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है।

परिवार के कठिनाई के दिनों में अनुसूचित जातियों की महिलाएं आमतौर पर साफ-सफाई का काम करती हैं लेकिन पुरुष यह काम नहीं करते। यह माना जाता है कि चूँकि महिलाएं अपने परिवार के लिए घरेलू काम करती हैं, वे इसी प्रकार का कार्य दूसरों के लिए भी कर सकती हैं। पुरुषों का मानना है कि इस प्रकार का काम करना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। प्रवासी परिवारों में महिलाएं प्रायः अपने परिवार की प्रमुख सहायताकर्ता होती हैं। लेकिन इस समय भी वे नियंत्रण को अपने पास ही रखते हैं। आस-पड़ोस में सामाजिक और आनुष्ठानिक विषयो पर जाति के पुरुषों द्वारा चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं (वही)।

भोजन और कर्मकांडः पवित्रता और अपवित्रता के कर्मकांड में भोजन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। भोजन में पवित्रता और अपवित्रता संबंधी चिंता पर ध्यान घर से ही दिया जाता है। महिलाओं के लिए भोजन से संबंधित हिदायते और मनाहियाँ नातेदारी, विवाह और लैंगिकता के सिद्धांतो के अंतर्गत आते हैं। महिलाएं घर की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। पवित्रता/अपवित्रता और 'बुरी नजर' दोनों से संबंधित सुरक्षा की अवधारणा महिलाओं के प्रक्रमण, परिरक्षण, भोजन बनाने और इसे वितरित करने के कार्यों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध और बाधाएं हैं। अपने घर तथा स्थान से बाहर की स्थिति में पुरुष शिष्टाचार के नियमों से अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होते हैं जबकि ऐसी स्थिति में महिलाएं संरक्षण में रहती हैं और उन पर सावधानी से नजर रखी जाती है तथा उनसे अधिक सख्ती से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है (वही)।

यह एक व्यापक धारणा है कि महिलाएं अपनी जाति के पुरुषों के समान पवित्रता के स्तर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। सभी जानते हैं कि परंपरागत रूप से द्विजन्मी जाति की महिलाओं की तुलना शूद्रों से की जाती है जो वेद का अध्यन नहीं कर सकतीं (वही)।

विवाह और लैंगिक संबंध ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसमें जाति, महिलाओं के जीवन पर अतिक्रमण करती है। महिलाओं की संवेदनशीलता के सांस्कृतिक भय और उनकी पवित्रता तथा प्रतिबंधित व्यवहार पर जोर, महिलाओं को पुरुषों से बातचीत करने पर प्रतिबंध

लगाती है जो जाति समाज में महिला लैंगिकता के प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। उत्तरी भारत में पितृसत्ता की प्रधानता लैंगिकता और महिलाओं की प्रजनन क्षमता के नियंत्रण को संस्थागत करता है। एक गैर-बंधित महिला के मामले में गर्भावस्था एक अनर्थ है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में जाति-सीमा का मुद्दा एवं उसकी स्वयं की शुद्धता शामिल होती है।

बालिका के लालन-पालन पर अनेक कठोर प्रतिबंध होते हैं, पारिवारिक भूमिकाओं का आदर्श, महिला मर्यादा तथा महिलाओं की कौमार्यता पर नजर रखी जाती है। महिलाओं से जीवन भर अपने धर्म की परिशुद्धता को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।

पूर्व-यौवन चरण को शुद्धता चरण के रूप में देखा जाता है और इसे अनेक प्रकार से मनाया जाता है, जैसे नवरात्रि के 8वें दिन कुँवारी कन्याओं की पूजा करना और उन्हें भोजन कराना। इससे उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाता है और इसके लिए संरक्षण एवं सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। भारतीय समाज में सामाजिक रूप से स्वीकार्य मातृत्व के लिए प्रतिबंधित और नियंत्रित लैंगिकता एक पूर्व-अपेक्षा है (दुबे, वही)। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों में कार्यरत मध्यमवर्ग की महिलाएं "अच्छी महिला" की छवि को बनाए रखने के लिए दबाव महसूस करती हैं और लैंगिक उत्पीड़न से जूझती हैं।

लैंगिक विषमता सिद्धांत जाति सगोत्र विवाह और दहेज के बीच संबंध अंतरा जाति के लैंगिक उत्पीड़न को प्रदर्शित करता है। "निम्न जाति" की महिलाओं में लैंगिक नियम (लोकाचार) और प्रतिबंध कम प्रभावी होते हैं। पुरुष पवित्र स्नान और कर्मकांड द्वारा ऐसे अपवित्र अपराध से छुटकारा पा सकता है जो अपराध उसने निम्न जाति की महिला के साथ शारीरिक संपर्क से किया था। लेकिन ऐसी विधि "उच्च जाति" की महिलाओं के लिए स्वीकार्य नहीं है। उसे घर से निकाल दिया जाता है और परिवार के लिए मरा हुआ समझा जाता है। विशेष रूप से, ग्रामीण भारत में अंतरा-जाति विवाह को अभी भी सहन नहीं किया जाता है और हाल ही में अनेक युगलों की हत्या के मामले प्रकाश में आए हैं। निम्न जाति और आदिवासी महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कोई असामान्य बात नही है।

एम.एन. श्रीवास्तव (1976 : 90) का कहना है कि समकालीन जाति समाज में सजातीय जाति, विवाह जाति के लिए एक सत्ता का रूप धारण करना पड़ता है जो दोनों ही इन पर प्रतिबंध लगाते हैं और ऐसी प्रमुख धारणा को जन्म देते हैं जो हिंदू समाज में दहेज प्रथा के महत्व को रेखांकित करता है। बढ़ते सामाजिक और आर्थिक अंतर ने दूल्हे के परिवार की उम्मीदों और मांग को और बढ़ा दिया है।

27.7 जनजाति, लिंग, स्तरीकरण एवं बदलाव

लम्बे समय तक यह माना जाता था कि जनजातीय समाज भारतीय संदर्भ में जाति और वर्ग के स्तरीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं और लिंग संबंधों को प्रायः समतावादी माना जाता था। जनजातीय महिलाओं की हैसियत को जाति महिला की हैसियत से श्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता की संकल्पना उन पर लागू नहीं होती थी और महिलाओं को लैंगिक तथा वैवाहिक मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। आदिवासी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें संपत्ति पर अधिकार और राजनीतिक निर्णय से अलग रखा जाता था। आधुनिक साहित्य का सुझाव है कि जनजातीय समाजों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उपनिवेशवाद, जाति समूहों के साथ सह-अस्तित्व, मिशनरियों, औद्योगीकरण, शिक्षा, राजनीतिक लोकतंत्रीकरण इत्यादि ने उनको काफी हद तक प्रभावित किया है। लैंगिक विषमता हमेशा ही इन समूहों में विद्यमान रही है। इसमें कई गुणा वृद्धि हुई और यह बाहरी प्रभाव के आयात और संपत्ति

तथा सत्ता पर आधारित बढ़ते स्तरीकरण के कारण अधिक जटिल हो गई है (मल्होत्रा, 2004)। राजनीति का लिंगीकरण और राज्य अन्य महत्वपूर्ण चिंता के विषय हैं। महिलाओं को मताधिकार और स्त्री-पुरुष समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान राजनीतिक क्षेत्र और सांविधिक निकायों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित नहीं कर सके हैं। सार्वजनिक नीति-निर्माण निकायों में उनकी भागीदारी की समाप्ति अपने अंतिम चरण में है। लैंगिक असमानता राज्य की दृश्यमान प्रगतिवादी नीतियों में अंतर्निहित है जैसा कि स्वामीनाथन ने रेखांकित किया है (1987, सीएफ. शर्मा, 1997)। वह न्यूनतम वेतन अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए नीति तथा हिंदू उत्तराधिकार कानून का उल्लेख करती है। भारत में महिला आंदोलनों ने व्यापक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न की है और लिंग संबंधी मुद्दे ने केंद्रीय रूप धारण किया है। स्त्री-पुरुष असमानता और सशक्तिकरण के मुद्दों को उठाने वाले महिला संगठन भारतीय समाज में निचले स्तर और अन्य स्तरों पर लगातार अपना काम करते रहे हैं और वे सामाजिक और आर्थिक दमन के विरुद्ध स्थानीय कार्यनीतियों को अपनाते रहे हैं (मल्होत्रा, 2002)। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने गैर सरकारी संगठनों के कार्यों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में अपना कार्य किया है। महिला सशक्तिकरण जिस पर व्यापक चर्चा की कई और जिसे व्यवहार में लागू किया गया, वह एक गुंजायमान शब्द बन गया और इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निचले स्तर पर एक क्रांति उत्पन्न हो रही है। लेकिन, अग्रवाल (1994) का कहना है कि प्रभावी अधिकार ही महिलाओं को शक्ति संपन्न कर सकते हैं। महिलाओं के संघर्ष से सामाजिक बदलाव होगा और उन्हें उस सांस्कृतिक बंधन से मुक्ति मिलेगी जो स्तरीकरण को स्थिर बनाए हुए है।

27.8 सारांश

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि जेंडर, वंश, वर्ग, जाति अथवा स्थिति जैसे संगनकारी सिद्धांत के रूप में सामाजिक स्तरीकरण को सूचित और संगठित करता है। जेंडर, वंश और वर्ग के साथ मिलकर पाश्चात्य समाज की संरचना का निर्धारण करता है जबकि जाति और लिंग वर्ग के साथ मिलकर भारतीय संदर्भ में अपने सदस्यों के लिए कार्रवाई की संरचना को निर्धारित करता है। सामाजिक जीवन और महिला तथा पुरुष के दैनिक जीवन में हैसियत के निहितार्थ की समझ को समाज के वैचारिक और सांसारिक पहलुओं के रूप में प्रतीकात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।

लिंग संबंधी भेदभाव और स्तरीकरण के प्रश्न को महिला और पुरुष के बीच असमानता और केवल महिलाओं की अधीनता के रूप में ही नहीं समझा जाना चाहिए। नारीत्व के संबंध में किए गए हाल के शोध भी नारीत्व की तुलना में पौरुषत्व की प्रतीकात्मक संरचना का सुझाव देते हैं और बताते हैं कि सांस्कृतिक संरचना के रूप में लैंगिक स्वरूप किस प्रकार सभी समाजों और संस्कृतियों में व्यक्तिगत विशेषताओं की तुलना में संबंधगत आयामों को व्यक्त करता है।

27.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

अरेंसबर्ग, कॉनराल्ड एम. एंड सोलोन टी. किमबाल, 1940, *फेमिली एंड कम्युनिटी इन आयरलैंड*। कैम्ब्रिज, मासः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बतई, सी.बी. एंड सी.एफ. सर्जेंट (एडी.), 2001, *जेंडर इन क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव*। नई दिल्ली, प्रेंटिस हाल।

दुबे, लीला, एलीनर लीकॉक एंड शिरले अर्डेनर (एडी.), 1986, *विजिबिलिटी एंड पॉवरः एसेज ऑन वूमेन इन सोसायटी एंड डेवलपमेंट*। दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

किश्वर, मधु एंड रथ वनिता, 1984, *इन सर्च ऑफ आंसर्सः इंडियन वूमेंस वाइस फ्रॉम मनुषी* । लंदन, जेड बुक्स।

27.10 संदर्भ ग्रंथावली

अग्रवाल, बीना, 1984, *ए फील्ड ऑफ वन्स ओनः जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया*। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

अग्निहोत्री, इंदु, 1996, "ब्रिंगिंग लैंड राइट्स सेंटर-स्टेट", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* वाल्यूम नं. 9 526-29

अहमद करुणा, 1979, "स्टडीज ऑफ एजुकेटेड वूमेन इन इंडियाः ट्रेंड्स एंड इश्यूज", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* वाल्यूम नं. 33 1435-40.

अरेंसबर्ग, कॉनराल्ड एम. एंड सोलोन टी. किमबाल, 1940, *फेमिली एंड कम्युनिटी इन आयरलैंड* । कैम्ब्रिज, मासः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

अटकिंसन, जेन, 1982, "रिव्यूःएंथ्रोपॉलॉजी", सिंह 8 236-258.

बर्धन, कल्पना, 1985, "वूमेनंस वर्क, वेल्फेयर एंड स्टेटसः फोर्सेस ऑफ ट्रेडिशन एंड चेंज इन इंडिया, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* वाल्यूम नं. 51 एंड 52 2207-20 एंड पीपी 2261-69.

बहल, मोनिषा, 1984, "विदइन एंड आउटसाइड द कोर्टयार्डः ग्लिम्पसेस इनटु वूमेंस परसेप्सन", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* वाल्यूम नं. 41 1775-77.

बतई, सी.बी. एंड सी.एफ. सर्जेंट (एडी.), 2001, *जेंडर इन क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव*। नई दिल्ली, प्रेंटिस हाल।

कैम्पबेल, जॉन के. 1964, *हॉनर, फेमिली एंड पैट्रोनेज,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

आर. क्रॉम्पटन एंड एम. मन्न (एडी.), 1986, *जेंडर एंड स्ट्राटिफिकेशन,* कैम्ब्रिज, द पॉलिटी प्रेस।

दुबे, लीला, एलीनर लीकॉक एंड शिरले अर्डेनर (एडी.), 1986, *विजिबिलिटी एंड पॉवरः एसेज ऑन वूमेन इन सोसायटी एंड डेवलपमेंट* । दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

दुबे, लीला, 1986, "कास्ट एंड वूमेन", इन एम.एन. श्रीनिवास (एडी.) *कास्टः इट्स ट्वेंटीथ सेंचुरी अवतार,* वाइकिंग, पेंगुइन पब्लिसिंग हाउस, पीपीः1-27

फ्रेडल, अर्नस्टाइन, 1975, *वूमेन एंड मेनः ह्यूमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स* वियू, न्यूयार्क, हॉल्ट, रिनहर्ट एंड विंस्टन।

———— , 1978, "सोसायटी एंड सेक्स रोल्स", *ह्यूमन नेचर* । अप्रैलः 68-75.

गुडेल, जेन सी, 1971, *तिवी वाइव्सः ए स्टडी ऑफ द वूमेन ऑप मेटवेल आयसलैंण्ड,* नार्थ आस्ट्रेलिया, सेटल, यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन प्रेस।

कबीर, नैला (1995), *रिवर्स्ड आइडेंटिटीजः जेंडर हायरारकीज इन डेवलपमेंट थॉट,* न्यू दिल्ली, काली फार वूमेन।

किश्वर, मधु एंड रथ वनिता, 1984, *इन सर्च ऑफ आंसर्सः इंडियन वूमेंस वाइस फ्रॉम मनुषी* । लंदन, जेड बुक्स।

कुमार, नीता (एडी.) 1994, *वूमेन एज सब्जक्ट्सः साथ एशियन हिस्टोरीज*, न्यू दिल्ली, स्त्री।

लिडिल, जोन्ना एंड रमा जोशी, 1986, *डाटर्स ऑफ इंडेपेंडेंसः जेंडर, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया*, न्यू दिल्ली, काली फॉर वूमेन।

मान्न, मिखाइल, 1994, "पर्सस, हाउसहोल्ड्स, फेमलीज, लाइनेज, जेंडर्स, क्लासेस एंड नेशंस", इन द *पॉलिटी रीडर इन जेंडर स्टडीज*, पीपी. 177-94

मार्टिन, एम. के एंड बरबरा वूरट्रीज, 1975, *फीमेल ऑफ द स्पेशीज*, न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

मेग्स, अन्ना, 1990, "मल्टिपल जेंडर आइडियोलॉजी एंड स्टेटसेस", इन सैंडी पेगी एंड रथ गूडेन (एडी.) *बिवांड द सेकंड सेक्सः न्यू डायरेक्शंस इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ जेंडर*, फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलवानिया प्रेस, पीपी. 99 - 112.

मेहरोत्रा, नीलिका, 2002, "परसीविंग फमिनिज्मः सम लोकल रिस्पौंसेस", सोसियोलॉजिकल बुलेटिन, 51(1) 58-79.

_____, 2004, "सिचुवेटिंग ट्राइबल वूमेन", *द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट*, 57 (1) 61-73.

मर्फी, योलांडा एंड रॉबर्ट एफ मर्फी, 1985, *वूमेन ऑफ द फारेस्ट*, न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

न्यूबी, एच, 1982, द स्टेट आफ रिसर्च इनटु सोसल स्ट्राटिफिकेशन, लंदन, सोशल साइंस रिसर्च कौंसिल।

सरदामणी, के. एंड जून पी. मेंच, 1983, "मड्डी फीट, डर्टी हैंड्स, राइस प्रोडक्शन एंड फीमेल एग्रीकल्चरल लेबर", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, वाल्यूम XVII नं. 52, पीपी.ए-149 - ए-167

सूद, रीता, 1988, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वूमेन एंड पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंटः ए सोशियोलाजिकल स्टडी इन दिल्ली मेट्रोपोलिस। पीएच.डी. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।

शर्मा, के.एल., 1997, *सोशल स्ट्राटिफिकेशन इन इंडिया*, न्यू दिल्ली, सेज पब्लिकेशंस, पीपी 133-156.

श्रीनिवास, एम.एन., 1952, *रिलिजन एंड सोसायटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया*। ऑक्सफोड, क्लेरेंडन प्रेस।

_____, 1962, *कास्ट एंड मार्डन इंडिया एंड अदर्स एसेज*, लंदन एशिया पब्लिशिंग हाउस।

_____, 1984, *सम रिफलेक्शनंस ऑन डावरी*, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

_____, 1986, *कास्टः इट्स ट्वंथीथ सेंचुरी अवतार*, वाइकिंग पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस।

वाल्बी सिल्विया, 1994, "टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ पैट्रिआर्की", *द पॉलिटी रीडर इन जेंड स्टडीज*, पीपी.22-28 .